अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं० 86 / 2018-19

बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h के तहत जॉच एव कार्रवाई से संबंधित।

दिनाक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापाक–2074/रा० दिनाक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या–3–खा० म० निति–119/85/2308/रा० दिनाक 03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या–914/रा० दिनाक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा– चंदौरा मौजा न०– 06 खाता न० 196 प्लॉट न० 1028 रकवा 21 डि० की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी–।। के जिल्द सख्या 01 के पृष्ठ सख्या 249 पर जमाबदी रैयत [illegible] सिंह पि० [illegible] सिंह के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अत– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनाक 27/3/19 को रखे। 13.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

24/3/19 अभिलेख उपस्थापित।अचल निरिक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19 अभिलेख उपस्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनाक 24/4/19 को रखे।

10.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनाक 20/6/20 को रखे।

10.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गाँजा ...... मौजा न0 06 खाता 196 प्लाट न0 1028 रकवा 21.50 भूमि से सबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित भूमि ~~दाखिल खारिज~~ ...... केस न0 6 (ii) 62-63 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सबधित उप निरीक्षक एव अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अत जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

20.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

Scanned by CamScanner